फर्द अहकाम

अजय वगै० बनाम अक्षय वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर ग्रामीण

संख्या 138/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवलोकन करने पर तथा वकील उभय पक्ष की बहस का मनन करने पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट को स्वीकार किया जाता है। तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली कैफियत दर्ज होकर नकल ले कर [illegible] बाद पूर्ति शामिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं0 138/2023 | दायर दिनांक 03/10/2023 | फैसला दिनांक 27/05/2024

1. अजय पुत्र रतनलाल
2. संजय पुत्र रतनलाल
3. लाली देवी पत्नि रतनलाल
4. पूजा पुत्री रतनलाल
5. अर्जुनलाल पुत्र कल्याण
6. रामधन पुत्र कल्याण
7. रामप्रसाद पुत्र कल्याण
8. जगदीश पुत्र रामपाल
9. बाबूलाल पुत्र शिशुपाल
10. मूलचन्द पुत्र शिशुपाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम रानियावास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. अक्षय उर्फ काना पुत्र नानगराम
2. राजेन्द्र उर्फ लाखा पुत्र नानगराम
3. हनुमान पुत्र घासीराम
4. रामअवतार पुत्र हनुमान
5. मनोज उर्फ चन्दर पुत्र हनुमान
6. नवरतन उर्फ सेठ पुत्र हनुमान
7. भागचन्द पुत्र कालू
8. मुन्ना पुत्र कालू
9. विमल पुत्र कालू
10. मोतीलाल पुत्र गंगाराम
11. रतनलाल पुत्र गंगाराम
12. प्रहलाद पुत्र गंगाराम
13. गिर्राज पुत्र गंगाराम
14. दिनेश पुत्र मोतीलाल
15. मनीष पुत्र रतनलाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम रानियावास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थितअभिभाषक

श्री दीपचन्द महावर :– वकील वादीगण।

श्री रामजीलाल मीना :– प्रतिवादी सं0 10, 11, 12, 13, 15

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.4800है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.4600है0, खसरा नम्बर 122 रकबा 1.2500है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.9100है0, खसरा नम्बर 131 रकबा0.5200है0, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.3500है0, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.8000है0, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.5400है0, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.2300है0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.1800है0, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 140 रकबा 1.3500है0, खसरा नम्बर

141 रकबा 0.6700है0, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.3700है0, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.2400है0, , खसरा नम्बर 248 रकबा 0.2500है0, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.0400है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.3400है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.3200है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.0200है0, कुल किता 22 कुल रकबा 9.3900है0 स्थित ग्राम रानियावास पटवार हल्का राहोरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है जो कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज स्थित है। जिस पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजियात वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नही है। फिर भी प्रतिवादीगण गुण्डा गिरोह बनाकर वादीगण की उक्त भूमि को हडप करने की नियत से वादीगण के साथ लडाई झगडा करते है तथा आये दिन मारपीट करने पर आमादा रहते है तथा पूर्व में भी प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ उक्त भूमि को लेकर लडाई झगडा किया था तथा प्रतिवादीगण वादीगण की भूमियों में जबरन प्रवेश कर निर्माण कार्य करने पर आमादा रहते है तथा भूमियों पर अतिकमण करना चाहते है जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नही है। अतः प्रतिवादीगणों को प्रतिबंधित किया जावें कि वह वादीगण की उक्त वर्णित आराजियात भूमि में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिकमण नही करे, और ना ही किसी प्रकार से तामीरात का निर्माण करें तथा किसी प्रकार से वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें किसी प्रकार से वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल नही करने का प्रयास नही करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें उक्त कार्य प्रतिवादागण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवायें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाकर तलब किया गया। दृप्रतिवादी सं0 10, 11, 12, 13, 15 की ओर से एडवोकेट श्री रामजीलाल मीना उपस्थित होकर दिनांक 20.10.23 को वकालतनामा पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 व 14 वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 व 14 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार प्रतिवादी किया गया। लेकिन प्रतिवादी उपस्थित नही हुये। अतः प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 व 14 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादी सं0 10, 11, 12, 13, 15 ने जवाब पेश नही किया। जवाब बन्द किया जाकर वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावें में अंकित बिन्दूओं को ताईद करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबन्दी करने के आदेश फरमावें तथा वकील प्रतिवादी सं0 10, 11, 12, 13, 15 ने प्रस्तुत वाद को मय हर्जे खर्चे के निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, व अन्य दस्तावेजोता का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.4800है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0. 4600है0, खसरा नम्बर 122 रकबा 1.2500है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.9100है0, खसरा नम्बर 131 रकबा0.5200है0, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.3500है0, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.8000है0, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.5400है0, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 136 रकवा 0.2300है0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.1800है0, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 140 रकबा 1.3500है0, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.6700है0, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.3700है0, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.2400है0, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.2500है0, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.0400है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.3400है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.3200है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.0200है0, कुल किता 22 कुल रकबा 9.3900है0 स्थित ग्राम रानियावास पटवार हल्का राहोरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिकमण नही करे, और ना ही किसी प्रकार से तामीरात का निर्माण करें तथा किसी प्रकार से वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें किसी प्रकार से वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल नही करने का प्रयास नही करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें उक्त कार्य प्रतिवादागण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवायें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 27/05/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

अजय वगै0

बनाम अक्षय वगै0

(वाद अन्तर्गत धारा 188, वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 138 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री दीपचन्द महावर वकील वादीगण व रामजीलाल मीना वकील प्रतिवादी सं0 10, 11, 12, 13, 15 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.4800है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.4600है0, खसरा नम्बर 122 रकबा 1.2500है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.9100है0, खसरा नम्बर 131 रकबा0.5200है0, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.3500है0, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.8000है0, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.5400है0, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.2300है0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.1800है0, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.0300है0, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 140 रकबा 1.3500है0, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.6700है0, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.3700है0, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.2400है0, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.2500है0, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.0400है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.3400है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.3200है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.0200है0, कुल किता 22 कुल रकबा 9. 3900है0 स्थित ग्राम रानियावास पटवार हल्का राहोरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे, और ना ही किसी प्रकार से तामीरात का निर्माण करें तथा किसी प्रकार से वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें किसी प्रकार से वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल नही करने का प्रयास नही करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें उक्त कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवाय

डिक्री आज दिनांक 27 / 05 / 2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर